

प्रपत्र

(नियम 53 (1) देखें)

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामांकन

जब सरकारी कर्मचारी का परिवार हो और वह एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता हो, उसके बाद। मैं, _____ इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित करता/करती हूँ। जो मेरे परिवार के सदस्य हैं और उसे/उन्हें प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं, नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, कोई भी ग्रेच्युटी जो कि सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जा सकती है और मेरा अधिकार है मेरी मृत्यु पर, नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, कोई उपदान प्राप्त करें जो मेरे लिए स्वीकार्य हो गया है। मेरी मृत्यु पर सेवानिवृत्ति अवैतनिक रह सकती है:-

| मूल नामांकित व्यक्ति | | | वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति | | |
|---|------------------------------|-----|---------------------------------------|--|---|
| नाम और नामिती का पता / नामांकित व्यक्ति | सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध | आयु | प्रत्येक को देय उपदान की राशि या अंश* | नाम, पता, संबंध और व्यक्ति या व्यक्तियों की आयु, यदि कोई हो, जिसे नामिती को प्रदत्त अधिकार सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति की पूर्व मृत्यु की स्थिति में पारित हो जाएगा। कर्मचारी या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्यु हो जाती है या सरकारी कर्मचारी लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले। | ग्रेच्युटी के हिस्से की राशि प्रत्येक को देय ** |
| | | | | | |

* यह कॉलम उपदान की पूरी राशि को कवर करने के लिए इस प्रकार भरा जाना चाहिए।

** इस कॉलम में दिखाई गई ग्रेच्युटी की राशि/हिस्सा मूल नामांकित व्यक्ति को देय पूरी राशि/शेयर को कवर करना चाहिए।

यह नामांकन मेरे द्वारा पूर्व में किए गए नामांकन के स्थान परहोगा जिसे रद्द किया गया है।

नोट:- (i) शासकीय सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर रेखा खींचेगा ताकि हस्ताक्षर करने के बाद उसमें कोई नाम न डाला जा सके।

(ii) जो लागू न हो उसे काट दें।

इस दिन की दिनांक में हस्ताक्षर के गवाह: भा.कृ.अनु.प.-सीफेट, लुधियाना।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.

(कार्यालय प्रमुख/लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

नामांकन द्वारा.....

कार्यालय अध्यक्ष/लेखापरीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

पद का नाम.....

दिनांक.....

कार्यालय.....

पद का नाम.....

कार्यालय प्रमुख के

हस्ताक्षर.....

FORM
(See Rule 53 (1))
NOMINATION FOR DEATH-CUM RETIREMENT GRATUITY

When the Government servant has a family and wishes to nominate one member or more than one member, thereof.

I, _____ hereby nominate the person / persons mentioned below who is/are member (s) of my family and confer on him/them the right to receive, to the extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by the Central Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:-

| Original nominee(s) | | | | Alternate nominee(s) | |
|---|--|-----|--|--|---|
| Names and addresses of nominee/nominees | Relationship with the Government Servant | Age | Amount or share of gratuity payable to each* | Name, address, relationship and age of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee pre deceasing the Govt. servant or the nominee dying after the death or the Government servant but before receiving payment of gratuity. | Amount of share of gratuity payable to each** |
| | | | | | |

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of the gratuity.

** The amount/share of the gratuity shown in this column should cover the whole amount /share payable to the original nominee(s).

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on _____ which stands cancelled.

- NOTE:- (i) The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed .
(ii) Strike out which is not applicable.

Dated this _____ day of _____ at **ICAR-CIPHET, Ludhiana.**

Witnesses to Signature:

1. _____

2. _____

Signature of Govt. servant

(To be filled in by the Head of Office/ Audit Officer).

Nomination by _____

Signature of Head of office/Audit Officer

Designation _____

Date _____

Office _____

Designation _____

Signature of Head of Office